बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः— पटना, दिनांक— /2018
सं०सं०—ह०क० (13) योजना (विद्युत अनुदान)—03/2017

प्रेषकः

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

अनौपचारिक रूप से पर्रामशित

विषयः—वित्तीय वर्ष 2018—19 में राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू0 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार राज्यादेश सं0—1140 दि0—16.03.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2018—19 में विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर ₹ 3.00 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. राज्य में लगभग 14,000 विद्युतकरघा कार्यरत है। ये सघन रूप से गया, भागलपुर, बांका में है साथ ही बिहार शरीफ, औरंगाबाद, सीवान, मुजफ्फरपुर एवं पटना में भी विद्युतकरघा कार्यरत है।

यह योजना दिनांक—01.10.2006 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में सामान रूप से लागू है। जिसके अन्तर्गत विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर दिनांक—01.02.2014 से विद्युत अनुदान ₹ 1.50 (एक रुपये पचास पैसे) प्रति यूनिट के दर से बढ़ाकर ₹ 3.00 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है तथा विद्युत विपत्र में ही ₹ 3.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दिया जाएगा। **Fixed charge** में कोई अनुदान नहीं दी जायेगी। अनुदान राशि की प्रतिपूर्त्ति विद्युतकरघा बुनकरों को करने के बजाय, अनुदान राशि सीधे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। पावर वितरण कम्पनी द्वारा वैसे विद्युतकरघा बुनकरों को, जो विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत करते है, उन्हें ₹ 3.00 प्रति यूनिट अनुदानित दर पर विपत्र देंगे। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना द्वारा, इस प्रकार छूट दी गई राशि का समायोजन उद्योग विभाग द्वारा इस मद में प्रदत्त अग्रिम राशि से की जायेगी। जिन विद्युतकरघा बुनकरों से विपत्र की राशि की वसूली पावर वितरण कंपनी/उनके द्वारा अधिकृत फ्रेन्चआईजी द्वारा की जायेगी उन मामलों में ही छूट की राशि का समायोजन किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष—2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—108, बिजली करघा उद्योग, 23—उद्योग विभाग, उप शीर्ष 0101 विघुत करघा योजना, विपत्र कोड—**23.2851.00.108.0101** राज्य योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष—0101.33.01, सब्सिडी मद् से चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 के आय व्ययक में ₹ 543.00 लाख (पाँच करोड़ तेतालीस लाख) मात्र बजट उपबंध प्राप्त है। उपबंधित राशि में से ₹300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र विकलित होगा।

4. इस योजना में "स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी **BTC-25** पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एक मुश्त कर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं0लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता सं0—10839114909 एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड—**SBIN-0000153** में भुगतान किया जायेगा"। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक—8244 दिनांक—02.08.10 एवं 500 दिनांक—18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। वे इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-*ह०क० (13) योजना (विद्युतअनुदान)-03/17* के पृष्ट-34/टि० पर दिनांक-10.09.2018 को प्राप्त है।

7. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- *ह०क० (13) योजना (विद्युतअनुदान)-03/17* के पृष्ट-36/टि० पर दिनांक-20.09.2018 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8003 वि०(2) दि०-18.09.2008 में निहित पत्रांक-2561 वि(2) दि०-17.04.1998 के कंडिका-2, पत्रांक-2938 वि (2) दि०-08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि०(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह०/-
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकर्घा एवं रेशम, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/पटना/गया/छपरा/मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, गया/ भागलपुर/बांका/नालन्दा/औरंगाबाद/सिवान/मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-4130 पटना, दिनांक-27.09.18

प्रतिलिपि--वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं०लि०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/उप सचिव, उर्जा विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक(तक०), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा प्रदाधिकारी (बजट शाखा) (स०)/योजना शाखा/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dilip kumar\2018\rambriksh\Sanction Order